

21.5.16

पन्नावली कोर्ट के माफ़े
 पर पेश वादी प्रतिवादी कबोलाउफ़े
 वादी कबोला से प्रतिवादा-तब अन्तत
 दारा 86 अ. शरर-ल कबोला नपम
 वा प्रकार अररवा 27/12, अपील गी
 जे गाम फलपत मालोला के नामा-
 अररवा 732 के लिफुफु परनुत लेवा
 दिनांक 23.1.15 को निर्णित के संबंध
 में फेर बिपा गपा। जिस पर निर्णय
 वरते समत हुए रजीकार की गई
 उसमे तप्यात्मव, तोर नुही एव
 मूल रही इन लिए मुन- पिजावत
 परिवादा पत्र पेश बिपा गपा।

अपीलान्त सं०२ जे रजप के
 अधिका अपीलान्त सं० के द्वारा निर्यादीत
 विवाप पुन के आधार परबलेम कर रहा
 भा-उसके दुम भी अपने समर-तकारो
 का त्याग अपर जिला न्यायालय सं०२ भीनाडा
 के समर-त संस्तुत वाद पत्र से वाद विवा पुन
 पर वाद पत्र से परनुत राजीनामा। वाद विवा
 लिपे जाने से परिवादा पत्र एव वाद पत्र तथा
 आदेशिका की प्रति भी अपील से परनुत की गई
 पर न्यायालय का हफान आवृत्त नहीं है अवा
 इस कारण न्यायालय द्वारा अपील हो गई। अतः
 उक्त प्रकार से निर्णय हुआ उसे अन्तत
 आवे।

रिजिस्ट्रार
 जिला न्यायालय
 भीनाडा


 दिनांक 21.5.16

परिवादा पत्र पेश बिपा गपा

पद्मलता या अचलित विद्या गपा व
प्रापिता - पुत्र वरमनन विद्या गपा । अन्तः प्राथम्येण
या प्रापिता पुत्र शरीरार् विद्या जाता ही वरन
न्यायालय या पूर्व निर्णय स्फारत विद्या
जाता ही लक्ष्मीलदा वी निर्णय प्रा. पुत्र
वी प्रमावित । भिजवाइ जीवै ।

आज दिनांक 21-5-16 को कोर्ट विद्युप
मापनेला मे रसे भ्राम शुनापा अरु ।

पद्मलता फैसला शुमार होवने
नाम्बर से वाम हा

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पवेन सहायक कलक्टर, भीलवाडा